

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय – आदेश

श्रीगती मधु शर्मा (जन्मतिथि 10.01.1960) व्याख्याता – याणिज्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मूँडियारामसर-जयपुर को दिनांक 04.06.2019 से 28.06.2019 तक विदेश यात्रा (लन्दन, साउथेम्पटन-यू.क.) भ्रमण हेतु अनापति प्रमाण पत्र/विदेश भ्रमण जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के आधार पर दी जाती हैं–

- 1 विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं करेंगे।
- 2 विदेश यात्रा के लिए प्रथम बार में आयेदित अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि राज्य सरकार की अनुमति विना स्वीकृति नहीं होगी तथा निर्धारित तथा निर्धारित अवधि के बाद लॉटकर नहीं आने पर सी.सी.ए. नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 3 विदेश से भेजा गया “त्यागपत्र” स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 4 विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जायेगा एवं न ही राजकीय स्त्रोत से इन्हें कोई विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जायेगी।
- 5 उक्त कर्मचारी सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत कराने के पश्चात ही विदेश को प्रस्थान करेंगे। अवकाश समाप्ति के तत्काल पश्चात संस्था में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से देनी होगी। एक बार में स्वीकृत अवकाश को आगे बढ़ाया नहीं जायेगा।
- 6 विदेश प्रवास के दौरान किसी भी प्रकार का नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
- 7 विदेश प्रवास के दौरान जहाँ-जहाँ पर रहेंगे उनके पते इस विभाग को तुरन्त अवगत करावें।
- 8 विदेश प्रवास के दौरान किसी प्रकार का अध्ययन नहीं करेंगे।
- 9 यात्रा का सामस्त खर्च रख्यां के द्वारा बहन किया जावेगा।
- 10 (अ) सक्षम अधिकारी द्वारा विदेश जाने हेतु जब भी अवकाश स्वीकृत किया जावे उससे पूर्व यह पुष्टि आवश्यक रूप से कर लें कि उक्त कर्मचारी के विरुद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित/विचाराधीन नहीं है।
(ब) कर्मचारी के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक बाद लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
(स) कर्मचारी के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का कार्य प्रभावित नहीं हो।
(द) कर्मचारी द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों को हस्तान्तरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।

(नन्दमल डिडेल)

IAS

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

दिनांक – 01.05.2019

प्रमाणक— शिविरा/मा/संस्था/सी-2/विदेश अनुज्ञा/इति-वाणि/19-20 प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा..
2. जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा/मुख्य लॉक शिक्षा अधिकारी
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड हेतु।
4. प्रधानाचार्य, राउमावि मूँडियारामसर-जयपुर को प्रेषित कर लेख हैं कि संबंधित कार्मिक द्वारा आयेदन अवकाश प्रार्थना पत्र नियमानुसार स्वीकृत कर विदेश यात्रा हेतु प्रस्थान करायें।
5. संबंधित कार्मिक
6. निजी/रक्षित पत्रायली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर